

28/5/15

प्रस्तावनी पेश हुई। प्राथमिक
पत्र में तदधीनदार, सावकाश
द्वारा प्रस्तुत प्रकाश के अनुसार
प्राथमिक द्वारा आवरण रीति
की पालना न किया जाने
से प्राथमिक के विरुद्ध मुक्ति प्रदो-
लनाथी मुक्ति आवरण निरस्त, 1970
की धारा 14 (4) के तहत
आवरण निरस्त करने हेतु
प्रकरण जिला कलक्टर महोदय
को प्रेषित किया गया है जहां
प्रेमदगी संभव नहीं हो पाई।
प्राथमिक द्वारा भी ऐसा कोई
साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया
है जिसके अन्तर्गत मॉके पर
कब्जा सिद्ध है जहां प्राथमिक
पत्र प्राथमिक खारिज किया जाकर

हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

अहकाम जो इस हुकूम की तामील में जारी हुआ

प्रशासकी फेंकल बुझार ही
हाजिर से कर ही। (१५)